कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

सर्व सम्बन्धित के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि शासनादेश संख्या–1410/15–7–2013–1(18)/2013 शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 30 अगस्त,2013 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 2016–17 (परीक्षा वर्ष 2018) के कक्षा–9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण एवं वर्ष 2017 की कृषि भाग–एक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा–11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। परिषद द्वारा वर्ष 2018 की परीक्षा से नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा। शेष अन्य विद्यालयों के गत वर्ष जारी किये गये यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड यथावत रहेगें।

शासनादेश संख्या–1450/15–7–2015–1(10)/2015 शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 03 अगस्त,2015 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु अग्रिम पंजीकरण की **समय सारिणी** निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

कार्य का विवरण	निर्धारित अन्तिम तिथि
1– कक्षा–9 एवं 11 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश की अन्तिम तिथि	05 अगस्त,2016 तक
2– परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल कम्पार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण एवं सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कक्षा–11 में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि।	20 अगस्त,2016 तक
3– संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा–9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क रू0 20/– (रुपये बीस मात्र) प्रति छात्र की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त जमा करने एवं जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	25 अगस्त,2016 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4– वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली–भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	26 अगस्त से 05 सितम्बर,2016 तक।
5– ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	06 सितम्बर से 20 सितम्बर,2016 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6– संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि।	30 सितम्बर,2016 तक।

(कृ0पं0उ0)

उपर्युक्त के सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या–403/15–7–2016 दिनांकः 12 अप्रैल,2016 एवं कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या–648/15–7–2016 दिनांकः 27 अप्रैल,2016 द्वारा अग्रिम पंजीकरण शुल्क रुपया 50/– प्रति अभ्यर्थी की दर से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्था के प्रधान द्वारा अग्रिम पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार से जमा किया जायेगा :–
1– रुपया 10/– विद्यालय के खाते में। 2– रुपया 20/– राजकीय कोष में गत वर्ष की भाँति। 3– रु0 20/– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के खाते में। सूच्य है कि रुपया 20/– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के खाते में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में आपको पृथक से निर्देश बाद में दिये जायेगें।

श्रीमती (शैल यादव) 6/7/16
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/सिस्टम सेल/289(1–9) दिनांकः 06 जुलाई,2016

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषगार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति/संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव/सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

श्रीमती (शैल यादव) 6/7/16
सचिव।

S.N.-Vigypati-09-07-15